

न्यायालय कलेक्टर, जिला बड़वानी (म0प्र0)

क्रमांक/2444 /रीडर/भूमि आबंटन/2022

बड़वानी, दिनांक 30/03/2022
प्र.क.0008/अ-20(3)/2021-22

(पारित दिनांक 30-03-2022)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग बड़वानी द्वारा विकासखण्ड सेंधवा अंतर्गत सोनखेड़ी तालाब योजना निर्माण से रकबा 49.320 हेक्टर वन विभाग की भूमि प्रभावित होने से वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार करने हेतु जिला बड़वानी अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के एवज में प्रथमतः गैर वनभूमि तहसील अन्जड़ के ग्राम फत्यापुर के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर शासकीय भूमि में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर राजस्व भूमि उपलब्ध कराने की मांग ऑनलाईन मांग आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर प्रस्तुत की गई ।

2/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग बड़वानी की ओर मांग किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया ।

3/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर द्वारा प्रकरण में तहसीलदार अन्जड़ से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । तहसीलदार अन्जड़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि हस्तांतरण के संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया, नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । आवेदित भूमि के संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश खरगोन एवं लोक निर्माण विभाग बड़वानी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया । ग्राम पंचायत फत्यापुर द्वारा नियत समयावधि में कोई अभिमत/अनापत्ति पेश नहीं किये जाने से यह मान्य किया गया कि संबंधित निकाय को भूमि हस्तांतरण में कोई आपत्ति नहीं है । राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम फत्यापुर तहसील अन्जड़ के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर मद पहाड़ में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर अतिक्रमण मुक्त है । उक्त भूमि आवंटन से ग्राम का चरनोई रकबे में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । तहसीलदार द्वारा वन विभाग को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नजूल निर्वर्तन नियम-2020 के तहत भूमि हस्तांतरित किया जाना उचित बताया ।

4/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम फत्यापुर तहसील अन्जड़ के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरण की अनुशंसा की गई है ।

5/ प्रकरण में जिला नजूल निर्वर्तन समिति, बड़वानी से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत प्रतिवेदित किया गया कि विकासखण्ड सेंधवा अंतर्गत सोनखेड़ी तालाब योजना निर्माण से वन विभाग की भूमि प्रभावित होने से उक्त भूमि के बदले शासकीय भूमि रकबा 49.320 हेक्टर हेतु तहसीलदार अन्जड़ के प्रतिवेदन के आधार पर कंडिका 13(2) की संपूर्ण कार्यवाही संपादित की गई । तहसीलदार द्वारा उद्घोषणा जारी की गई, नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये म.प्र. नजूल निर्वर्तन नियम 2020 की कंडिका 13(3) अनुसार जांच प्रतिवेदन मय अनुशंसा प्रेषित किया गया एवं कंडिका 13(4) अनुसार नजूल अधिकारी द्वारा प्रारूप-दो में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर एवं तहसीलदार अन्जड़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सोनखेड़ी तालाब योजना निर्माण से वन विभाग की भूमि रकबा 49.320 हेक्टर प्रभावित होने से उक्त भूमि के बदले ग्राम फत्यापुर तहसील अन्जड़ के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर मद पहाड़ में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर भूमि म.प्र. नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के अध्याय-2 के तहत हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है ।

108





अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर एवं तहसीलदार अन्जड़ तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये सोनखेड़ी तालाब योजना निर्माण से वन विभाग की भूमि रकबा 49.320 हेक्टर प्रभावित होने से उक्त भूमि के बदले तहसील अन्जड़ के ग्राम फत्यापुर के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर मद पहाड़ में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर भूमि म.प्र. नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के अध्याय-2 के तहत वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है:-

- 1- म.प्र.शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य/भू-भाटक आदि के संबंध में कोई शासनादेश/निर्देश दिये जाते हैं या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती है तो उन्हें मानने के लिये आवेदक विभाग बाध्य होगा।
- 2- भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये ही किया जा सकेगा, जिस प्रयोजन के लिये भूमि हस्तांतरित की गई है, अन्यथा भूमि अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त होकर शासकीय भूमि पुनः शासन में समाविष्ट होगी।

(शिवराजसिंह वर्मा)

कलेक्टर

जिला बड़वानी, म.प्र.

पृ.क्रमांक / 2445 /रीडर/भूमि आबंटन/2022
प्रतिलिपि:-

बड़वानी, दिनांक 30/03/2022

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व/वन विभाग, भोपाल ।
- 2- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
- 3- वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल (सा) बड़वानी/सैंधवा ।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर ।
- 5- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग बड़वानी ।
- 6- अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला बड़वानी ।
- 7- तहसीलदार अन्जड़ की ओर आदेश की प्रति सह मूल प्रकरण भेजकर लेख है कि नियमानुसार सम्पूर्ण पूर्णता एवं आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में पृविष्ट कर संशोधित अभिलेख संलग्न करते हुए मूल प्रकरण वापस प्रेषित करें ।

संलग्न-मूल प्रकरण क्रमांक 0008/अ-20(3)/2021-22

कलेक्टर,

जिला बड़वानी, म.प्र.